रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2017/श्रावण 9, 1939
No. 190] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2017/SRAVANA 9, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

(अंतिम जाँच परिणाम)

विषय : चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच (एसएसआर)

सं. 15/10/2016-डीजीएडी.—क. मामले की पृष्ठभूमि:—

1. यत: 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 31 मई, 2010 की अधिसूचना द्वारा थाइलैंड, चीनी ताइपेई और नार्वे (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की थी। तत्पश्चात दिनांक 30 जून, 2011 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं 14/1/2010 द्वारा प्राधिकारी ने उक्त देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की और दिनांक 23 अगस्त, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 79/2011-सीमाशुल्क द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

2. यत: अधिनियम के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले हटाया न जाए तो उसे लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों के बीत जाने पर समाप्त हो जाता है।

3. और, उक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी के लिए उपास की अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की

समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. यत:, मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे एतद्पश्चात आवेदक या याचिकाकर्त्ता या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने भारत में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए कास्टिक सोडा के विनिर्माताओं की ओर से, चीनी ताइपेई (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर पहले लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया है और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की है। यह अनुरोध इस कारण पर आधारित है कि चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद पाटन जारी है और उपाय की अवधि समाप्त होने से उस देश से पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

5. घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत पाटन और क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य वाले विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 15/10/2016-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत की ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है।

6. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जाँचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. नियम 6 (2) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत के बारे में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 6(3) के अनुरूप संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई थी। आवेदन अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दी गई।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम और पते याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को अधिसूचना की प्रतियां भेजी और नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार पत्र जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

क. कैथे कैमिकल्स कं. लि., ताइपेई, ताइवान

ख. फारमोसा प्लास्टिक्स कार्पोरेशन, ताइपेई, ताइवान, आर.ओ.सी.

iv. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और न ही प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

v. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम और पते आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को अधिसूचना की प्रतियां भेजी और नियम 6(4) के अनुसार पत्र जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने की सलाह दी गई।

क. अभय कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात

ख. अलब्राइट वि�ल्सन कैमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई

ग. अरविन्द मिल्स लिमिटेड, गुजरात

घ. बिरला सेल्युलोस लिमिटेड, गुजरात

ङ. सेन्ट्रल पल्प मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

च. दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, गुजरात

छ. गोदरेज सोप्स लिमिटेड, मुम्बई

ज. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात

झ. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात

ञ. इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर को-आप लिमिटेड,

ट. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात

ठ. जयसिंथ डाइकेम लिमिटेड, मुम्बई

ड. लिंक फार्मा लिमिटेड, गुजरात

ढ. मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, गुजरात

ण. नर्मदा केमाच्योर पेट्रोकैमिकल्स लि., गुजरात

त. निरमा लिमिटेड, गुजरात

थ. पैब कैमिकल्स (पी) लिमिटेड, गुजरात

द. रामा न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स, गुजरात

ध. रूबामिन लि., गुजरात

न. सबेरो आर्गेनिक्स लिमिटेड, मुम्बई

ऩ. टोरेंट गुजरात बायोटेक लिमिटेड, गुजरात

प. ट्रांसपैक सिलाक्स इंइस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात

फ. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ओडिशा

ब. साइनाइड्स एण्ड कैमिकल्स कंपनी, मुम्बई

भ. हित्सु इंइस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात

म. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गुजरात

य. अदानी विल्मर लिमिटेड, गुजरात

र. लिब्रा फोम्स, उ.प्र.

ऱ. श्री रामचन्द्र सट्रा प्रॉडक्ट्स लि., मुरादाबाद (उ.प्र.)

ल. बिलाग इंइस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, गुजरात

ळ. दौरेट आर्गेनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली

ऴ. सीजे शाह एंड कं., मुम्बई

व. हरीश कुमार एंड कंपनी, मुम्बई

श. हिन्दुस्तान लिंक एंड रेजिन्स लिमिटेड, गुजरात

ष. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, मुम्बई

vi. हिन्दुस्तान लीवर लि., मुंबई ने भागीदारी का एक पत्र प्रस्तुत किया है परंतु न तो कोई अनुरोध प्रस्तुत किया है और न ही प्राधिकारी द्वारा आयोजित सुनवाई में भाग लिया है। इसके अलावा, मै. नालको लि. आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया हैयद्यपि वह अधूरा है। मै; नालको लि. ने मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया और लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया, जिन्हें रिकॉर्ड में लिया गया है।

vii. ताइवान सरकार ने मौखिक सुनवाई में भागीदारी की और मौखिक विवरण का लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है, जिसे रिकार्ड में लिया गया है।

viii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल, 2015 - 31 मार्च, 2016 (12 महीने) तक की अवधि जांच अवधि (पीओआई) है। तथापि क्षति विश्लेषण में 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल है।

ix. जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से सौदा-वार आयात आकड़ों को प्राप्त किये गए और इस जांच में विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उन्हीं पर भरोसा किया गया।

x. नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा जिसे अन्य पक्षों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

xi. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने हेतु नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।

xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 22 मई, 2017 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध और विरोधी पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के खंडनों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। इस जॉंच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस जॉंच परिणाम में जॉंच और समाधान किया गया है।

xiii. जॉंच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई सूचना जो इस अंतिम जॉंच परिणाम का आधार है, की सत्यता से स्वयं को संभव सीमा तक संतुष्ट किया है और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आकड़ों/दस्तावेजों का संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।

xiv. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

xv. 12.07.2017 को एक प्रकटन विवरण जारी किया जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य दिए गए थे। प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हों, को प्रस्तुत करने के लिए 19.07.2017 तक का समय दिया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियों पर उचित ढ़ग से विचार किया है।

xvi. इस अंतिम जॉंच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xvii. पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 65.91 रुपये = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

8. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक नाम एनएओएच) है, जिसे आम तौर पर सभी रूपों में कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है।

9. कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुनी, अधिक अल्कलाइन गंधरहित रसायन होता है और इसका प्रयोग पल्प और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमिनियम, कपास, वस्त्र, प्रसाधन और लाउंड्री साबुन, डिटरजेंट, डाईस्टफ, औषध और भेषज, पेट्रोलियम शोधन आदि के विनिर्माण में होता है। कास्टिक सोडा को तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात मरकरी सेल प्रक्रिया, डायफ्रेग्म प्रक्रिया और मेम्बरेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात लाई और ठोस रूप में उत्पादित किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में अंतर से विभिन्न विशेषताओं के अनुसार उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता है।

10. कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1110, 28151120 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जॉंच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

11. चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध नहीं किया है, इसलिए वर्तमान समीक्षा जॉंच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जॉंच में उसके दायरे के समान रहेगा।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

12. समीक्षा हेतु यह याचिका क्षति जॉंच के प्रयोजनार्थ भागीदार घरेलू उत्पादकों के रूप में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 33 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले मै. गुजरात अलकलीज एंड कैमिकल्स लि., मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और मै. डीसीडब्लू लि. की ओर से मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई है।

13. जॉंच की शुरूआत के बाद, आवेदक एसोसिएशन को और अधिक घरेलू उत्पादकों के संबंध में लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। अनुपालन में, आवेदकों ने उक्त घरेलू उत्पादकों और सील लि. की सभी इकाइयों के लागत और क्षति संबंधी आकड़े प्रस्तुत किए। जो पीओआई के दौरान कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 47.74 प्रतिशत थे। किसी भी हितबद्ध पक्ष ने कोई विरोधी अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, क्षति जॉंच के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनाने वाले निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों को इस समीक्षा जॉंच में घरेलू उद्योग माना गया है।

i. जीएसीएल बड़ौदा

ii. जीएसीएल दाहेज

iii. डीसीडब्लू लिमिटेड

iv. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., नागडा

v. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.,रेहला

vi. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., विलायत

vii. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., कारवार

viii. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., रेनूकूट

ix. एबीसीआईएल, वेरावल

x. सिएल कैमिकल काम्प्लैक्स, राजपुरा

ड़. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

क. घरेलू उद्योग नालको को उचित कीमत पर वस्तु की बिक्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वास्तव में पहले मामलों से पता चलता है कि एडीडी के लागू होने के बाद, नालको को आपूर्तियों अधिकांशत: घरेलू उत्पादकों द्वारा की गई हैं।

ख. पहले नालको ने निविदा में एक शर्त रखी थी जिसमें नालको ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को किसी स्रोत पर भारत सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने पर वस्तुओं का मूल देश बदलने की अनुमति दी थी। ऐसी स्थिति के बावजूद, घरेलू उद्योग नालको को वस्तुओं की आपूर्ति करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इस कठोर व्यवसायिक वास्तविकता को नहीं मान रहे हैं कि क्षति और क्षति मार्जिन उपभोक्ताओं के स्तर पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। क्षति मार्जिन को मालभाड़ा जोड़कर ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

घ. इस समय, देश में मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है और इसलिए आयात आवश्यक नहीं हैं। याचिकाकर्ता किसी भी तरह से आयातों का विरोधी नहीं है।

ड़. घरेलू उत्पादकों के लिए निर्यात बाजार लक्ष्य बाजार नहीं है जो इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि निर्यात घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन का काफी कम हिस्सा बनते हैं। घरेलू उत्पादक हमेशा उचित कीमत पर घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री करने को वरियता देंगे।

15. मैं. नालको द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

क. कंपनी ने विदेशी और घरेलू उत्पादकों दोनों के लिए खुली वैश्विक निविदा आमंत्रित की। घरेलू आपूर्तिकर्ता कंपनी की पूरी जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, जिसे आयातों के जरिए पूरा किया जाना था। कास्टिक सोडा का घरेलू उत्पादन 33 लाख मी.टन प्रतिवर्ष है (नालको और एएमएआई द्वारा आकलित)। कुछ घरेलू आपूर्तिकर्ता नालको को नियमित आपूर्ति कर रहे हैं परंतु विभिन्न संभार तंत्र सीमाओं, उत्पादन सीमाओं, आबद्ध खपत और उनकी और से बिक्री कार्यनीतियों के कारण सीमित मात्रा में।

ख. अलुमिना का उत्पादन बढ़ रहा है परंतु कास्टिक सोडा का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी उपायों से कंपनी की लागत बढ़ रही है जिससे प्रतिस्पर्धी दरों पर घरेलू और विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है।

ग. कास्टिक साडा का भारत से निर्यात किया जा रहा है (2015-16 में 11 लाख मी.टन)। यह दर्शाता है कि घरेलू विनिर्माता नालको को पूरी मात्रा की आपूर्ति किए बिना बाहर पर्याप्त मात्रा में बिक्री करने में सक्षम हैं।

घ. पाटनरोधी शुल्क के कारण ताइवान से आयात को प्रतिबंधित करने से नालको के आपूर्ति के स्रोत सीमित हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप नालको का बिक्री करते समय विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की कीमत बढ़ जाएगी। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से मिली जानकारी से नालको को आपूर्ति करने में उनकी अरूचि प्रदर्शित होती है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लागू है जो नालको और राष्ट्र दोनों के हितों के लिए क्षतिकारी है।

16. ताइवान सरकार द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार है :

क. जाँच अवधि के दौरान ताइवान से मामूली आयात अर्थात कुल आयातों का केवल 1.7 प्रतिशत् और भारतीय मांग का केवल 0.25 प्रतिशत से विधिक और सांख्यिकीय दृष्टि से घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति के जारी रहने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। इसके अलावा, ताइवान से आयात क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों और भारतीय मांग से निरंतर कम रहे हैं जो स्पष्ट रूप से यह दीर्घावधिक प्रवृति दर्शाता है कि ताइवान से आयात ताइवान के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने पर भी नहीं बढ़ेंगे।

ख. जाँच अवधि के दौरान भारतीय बाजार में ईरान और चीन के आयातों का क्रमश: 40 प्रतिशत और 14 प्रतिशत हिस्से का भारी दबाव है। इन देशों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है फिर भी इनका भारत में इतना अधिक बाजार हिस्सा है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जाँच

17. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की गई है :

क. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग मैं. नालको को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करना नहीं चाहता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की क्षमता को पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है, इस प्रकार घरेलू उद्योग के लिए नालको को वस्तु की बिक्री नहीं करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। सुनवाई के दौरान, घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से बताया है कि वे निश्चित रूप से नालको और किसी अन्य भारतीय प्रयोक्ता को वस्तु की आपूर्ति करना चाहते हैं।

ख. आयातों के स्रोत संबंधी प्रतिबंध के कारण कमी के बारे में दिए गए तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क से आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं, बल्कि इस उद्देश्य से केवल घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा देश में मांग और पूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है।

ग. क्षति मार्जिन के निर्धारण में मालभाड़े को शामिल करने के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी की गणना करते समय, निदेशालय द्वारा स्थापित एक समान प्रक्रिया और पाटनरोधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार मालभाड़ा शामिल नहीं किया जाता है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की पद्धति और निर्धारण

18. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

19. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों को विहित ढ़ग और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। तथापि संबद्ध देश से किसी उत्पादन/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके इस जाँच में सहयोग नहीं किया है।

20. संबद्ध देश में किसी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डब्लूटीओ करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया है :

चीनी ताइपेई से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

21. प्राधिकारी के लिए संबद्ध देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देश के घरेलू बाजार में खपत के लिए लक्षित उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में प्रचलित वास्तविक बिक्री कीमत का वाणिज्यिक बीजक के रूप में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। उक्त को देखते हुए, भारत में चीन जन. गण.

से आयातित संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए तर्कसंगत अभिवृद्धि करने के बाद "किसी अन्य आधार" पर निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्री की खपत, प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि के घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर परिकलित किया गया है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए बिक्री लागत के 5 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत लाभ भी जोड़ा गया है।

चीनी ताइपेई से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

22. चूंकि संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने चीनी ताइपेई से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित की है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से सौदा-वार आकड़ों को प्राप्त करके अपनाया और भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्यात कीमत को विचाराधीन उत्पाद की कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय, बैंक प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है। निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन मार्जिन में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

23. संबद्ध वस्तु को दो रूप अर्थात लाई और फ्लेक में उत्पादित और व्यापारित किया जाता है। चूंकि केवल लाई रूप का आयात हुआ है इसलिए केवल लाई रूप के लिए परिकलित सामान्य मूल्य की तुलना पाटन मार्जिन की गणना के लिए निवल निर्यात कीमत के साथ की गई है। आकड़ों के विश्लेषण के बाद, निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे तालिका के अनुसार ज्ञात किया गया है।

विवरण	एनईपी (अमडा./मी.टन)	परिकलित सामान्य मूल्य (अमडा./मी.टन)	पाटन मार्जिन (अमडा./मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
कास्टिक सोडा लाई	***	***	(***)	(***)	(15)-(5)

छ. क्षति निर्धारण की पद्धति

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है :

क) 2012 में कोई आयात नहीं हुए थे और आयात 2013-14 से शुरू हुए। आयातों में 2014-15 में वृद्धि हुई और उसके बाद पीओआई में गिरावट आई। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण क्षति अवधि के दौरान आयात कम रहे हैं। तथापि आयात पाटित कीमत पर किए गए हैं।

ख) ताइवान से आयातों में स्पष्ट रूझान रहा है, पाटनरोधी शुल्क के बिना ताइवान से आयात अचानक बढ़ जाते हैं (पाटित कीमतों पर) और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद आयातों में भारी गिरावट आई। पहले मामले में ताइवान से आयातों में कमी के कारण ताइवान से बाद में आयातों में भारी वृद्धि हुई। इसके बाद पुन: जाँच शुरू हुई और पुन: पाटनरोधी शुल्क लागू हुआ।

ग) वर्तमान में ताइवान से आयात लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण कम है तथापि संबद्ध देश में उत्पादक पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को पाटित निर्यातों को तेज करने में सक्षम हैं।

घ) आयातों से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ङ) बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथापि बिक्री कीमत में बिक्री लागत में हुए वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को पहले से ही कीमत न्यूनीकरण झेलना पड़ रहा है।

च) घरेलू उद्योग की मालसूची में 2014-15 तक वृद्धि हुई है और पीओआई में गिरावट आई है। मालसूची का स्तर काफी अधिक रहा है।

छ) देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण क्षति अवधि के दौरान लाभों में निरंतर और भारी गिरावट आई है।

ज) क्षति अवधि के दौरान निवेश पर आय और नकद लाभ में भी गिरावट आई है।

झ) मांग में घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सें में गिरावट आई है।

ञ) उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में कुछ सुधार दिखाई दिया है।

ट) इस प्रकार यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है। घरेलू ड़ोग की स्थिति स्पष्ट रूप से कमजोर है और पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर लक्षित प्रभाव वांछित स्तर तक नहीं पड़ा है।

हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

25. ताइवान सरकार ने अनुरोध किया है कि :

क. घरेलू उद्योग को क्षति ताइवान से पाटन के कारण नहीं बल्कि अन्य कारकों की वजह से हुई है।

ख. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों अर्थात लाभप्रदता, नकद लाभ, पूंजी पर आय, क्षमता उपयोग और उत्पादन में सकारात्मक प्रवृति है। यद्यपि आधार वर्ष 2012-13 की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री में 7000 मी.टन की कमी हुई है, तथापि यह सामान्य व्यवसायिक रूझान है और ताइवान से मामूली आयात के कारण कोई क्षति नहीं दर्शाता है।

ग. घरेलू उद्योग ने 2014-15 के दौरान क्षमता में वृद्धि दर्शाई है जो संदेह उत्पन्न करता है कि क्या क्षति के लिए घरेलू उद्योग का क्षति अवधि के दौरान विस्तार का निर्णय जिम्मेदार है या ताइवान से हुए मामूली निर्यात। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 और अनुच्छेद 11.2 के अनुसार ताइवान से हुए आयातों के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए ताइवान के विरूद्ध निर्णायक समीक्षा को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

26. प्राधिकारी द्वारा यहां किए गए क्षति विश्लेषण से वास्तव में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान होता है।

27. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए, प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के अनुबंध ।। (iv) के अनुसार उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार किया है।

28. इस संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने में प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावना के पहलुओं की जाँच करने की कार्यवाही करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जाँच की कार्रवाई करते हैं।

(i) **मांग और बाजार हिस्सा**

29. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का आकलन करने के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है और उसका सारांश नीचे दिया गया है। कास्टिक सोडा का विनिर्माण दो रूपों, लाई और फ्लेक में होता है और दोनों रूप मूल तथा वर्तमान समीक्षा जाँच में संबद्ध वस्तु के दायरे के भीतर शामिल हैं।

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	969,113	1,038,253	988,766	1,011,106
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	1,558,513	1,579,744	1,825,113	1,854,952
आयात - संबद्ध देश	मी.टन	-	3,979	13,158	8,151
आयात - शुल्क लागू वाले अन्य देश	मी.टन	31,591	68,120	57,003	154,768
आयात - अन्य देश	मी.टन	257,624	230,780	320,697	306,211
कुल मांग	मी.टन	2,831,112	2,922,472	3,220,537	3,340,945
मांग में बाजार हिस्सा					

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू बिक्रियों का	%	34	36	31	30
संबद्ध देश का	%	-	0.14	0.41	0.24

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण क्षति अवधि के दौरान कम रहे हैं और परिणामस्वरूप संबद्ध देश का बाजार हिस्सा कम है।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

31. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात आकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जाँच अवधि के लिए विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देश	मी.टन	-	3,979	13,158	8,151
अन्य देश	मी.टन	14,272	1,595	15,799	5,757
जांचाधीन देश	मी.टन	31,591	68,120	57,003	154,768
पाटनरोधी शुल्क लागू वाले देश	मी.टन	257,624	230,780	320,697	306,211
कुल आयात	मी.टन	303,486	304,474	406,657	474,887
आयात हिस्सा					
संबद्ध देश	%	0%	1%	3%	2%
अन्य देश	%	5%	1%	4%	1%

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात पूरी क्षति अवधि के दौरान कम रहे हैं, तथापि आधार वर्ष की तुलना में आयातों में जांच अवधि में वृद्धि हुई है। जाँच के अधीन अन्य देशों अर्थात जापान और कतर से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि संबद्ध देश से आयात में गिरावट लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण आई है तथापि संबद्ध देश पर लागू शुल्क के समाप्त होने से पाटित आयातों में वृद्धि होगी जैसा पहले भी हुआ था जब शुल्क के समाप्त होने पर भारी पाटित आयात आना शुरू हो गए जिसके परिणामस्वरूप पुन: जाँच हुई और संबद्ध देश के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क को पुन: लागू किया गया। इस प्रकार लागू किया गया शुल्क लागू है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान में चीनी ताइपेई से आयात पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के कारण कम है तथापि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो संबद्ध देश में उत्पादक भारत में पाटित आयात तेज करने में सक्षम हैं।

(ii) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

33. कीमतों पर कथित पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई।

(क) कीमत कटौती

34. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी मात्रा में कमी करना रहा है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई

होती। इस संबंध में, उत्पाद के पंहुच मूल्य और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, सभी छूटों और करों के निवल के बीच व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है घरेलू उद्योग की कीमतों को कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया था।

35. कीमत कटौती का आकलन आयातों की पंहुच कीमत के साथ जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना द्वारा किया गा है। यह देखा गया है कि आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप भारी कीमत कटौती होगी जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

कीमत कटौती	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
आयातों की पंहुच कीमत	रू./मी.टन	29,596	30,740	24,863	25,769
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.टन	(***)	(***)	***	***
कीमत कटौती	%	(***)	(***)	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	(10-20)	10-20	10-20

(ख) पाटित आयातों का कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण :

36. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी मात्रा में कमी करना रहा है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। नीचे तालिका के अनुसार स्थिति बताई गई है :

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत	रू./मी. टन	*29,596*	*30,740*	*24,863*	*25,769*
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*104*	*84*	*87*
बिक्री लागत	रू./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*102*	*126*	*123*
बिक्री कीमत	रू./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*91*	*104*	*106*

37. डीजीसीआईएंडएस आकड़ों से प्राप्त उक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पंहुच कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है; बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है तथापि यह वृद्धि लागत में हुई वृद्धि की सीमा तक नहीं हुई है। इस प्रकार, आयातों से बाजार में घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

(ग) कम कीमत पर बिक्री

38. क्षति रहित कीमत ज्ञात की गई है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का पता लगाने के लिए संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के साथ उसकी तुलना की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। के अनुसार पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है।

पंहुच मूल्य अम.डा/मी.टन	क्षतिरहित कीमत अम.डा/मी.टन	कम कीमत पर बिक्री अम.डा/मी.टन	कम कीमत पर बिक्री %
390.98	***	(***)	(***)

39. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तु की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से अधिक है और कम कीमत पर बिक्री ऋणात्मक है।

(i) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

40. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग का ब्योरा निम्नानुसार है :

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी.टन	1,206,050	1,297,543	1,410,650	1,445,800
उत्पादन	मी.टन	1,076,792	1,144,178	1,247,463	1,331,558
क्षमता उपयोग	%	89.28	88.18	88.43	92.10
घरेलू बिक्री	मी.टन	969,113	1,038,253	988,766	1,011,106
मांग	मी.टन	2,831,112	2,922,472	3,220,537	3,340,945

41. उक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मांग में वृद्धि के अनुक्रम में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान भी बिक्री और क्षमता उपयोग दोनों में वृद्धि हुई है।

(ii) मालसूची :

42. मालसूची से संबंधित आकड़े निम्नानुसार है :

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
आरंभिक	मी.टन	***	***	***	***
अंतिम	मी.टन	***	***	***	***
औसत	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	126	127	90

43. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में 2014-15 तक वृद्धि हुई है और पीओआई में उसकी गिरावट आई है। तथापि मालसूची के स्तर काफी अधिक रहे हैं।

(iii) लाभ और नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

44. लाभ/हानि और नकद प्रवाह के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षति अवधि के दौरान कम हुई है।

विवरण	इकाई	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री लागत	रू./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*113*	*112*
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*98*	*100*
लाभ/हानि	रू./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*63*	*42*	*57*
लाभ/हानि	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*43*	*60*

पीबीआईटी	Rs.Lacs	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*71*	*51*	*71*
नकद लाभ	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*79*	*57*	*72*
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*59*	*41*	*59*

(iii) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

45. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार दर्शातें हैं :

विवरण	यूओएम	2012- 13	2013-14	2014-15	पीओआई
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*110*	*117*
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	105	105	106
मजदूरी	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	122	136	151

46. यह नोट किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान उत्पादकता और मजदूरी में क्षति अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

घ. क्षति मार्जिन की मात्रा

47. लाई रूप में कास्टिक सोडा में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यात के पंहुच मूल्य के साथ की गई है। चूंकि कास्टिक सोडा के आयात केवल लाई रूप में हुए हैं इसलिए संबद्ध वस्तु के पंहुच मूल्य की तुलना क्षति मार्जिनकी गणना के लिए कास्टिक सोडा लाई रूप की एनआईपी के साथ की गई है। निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

पंहुच मूल्य अम.डा./मी.टन	**एनआईपी अम.डा./मी.टन**	**क्षति मार्जिन अम.डा./मी.टन**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
391	***	(***)	(***)	(10)-0

क्षति संबंधी निष्कर्ष

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्धदेश से पाटित आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण पूरी क्षति अवधि के दौरान कम रही है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है तथापि लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय के अनुसार वृद्धि ऋणात्मक रही है। इसके अलावा यद्यपि आयात कम मात्रा में हैं तथापि उनसे भारी कीमत कटौती हो रही है और यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास भी हुआ है।

ण. पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना

49. प्राधिकारी ने यह पाया कि यह एक अंतिम समीक्षा जांच है और इस जांच का मुख्य ध्यान सतत पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना के परिदृश्य की जांच करना है, यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाए।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

50. पाटन जारी रहने की संभावना तथा परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. इस उत्पाद का एक दशक से भी अधिक के लिए देश में पाटन जारी रहने तथा पुनः होने का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आज की स्थिति में विभिन्न देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। इस प्रकार, संबद्ध सामान पाटन के लिए सुभेद्य है।

ख. पूर्व की जांच में काफी पाटन की मौजूदगी सिद्ध हुई।

ग. जांच शुल्क लगाए जाने के बाद आयात में कमी स्वयं ही पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का औचित्य दर्शाता है और शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

घ. ताइवान में उत्पादकों के पास भारी अधिशेष क्षमताएं हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व जांच परिणाम इसे सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त, ताइवान में अकेले एक उत्पादक अर्थात मैसर्स फोर्मोसा की क्षमता उनकी अपनी वेबसाइट के अनुसार 13,30,000 मी. टन प्रति वर्ष है। सार्वजनिक अनुसंधान यह दर्शाता है कि ताइवान द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों का 40 प्रतिशत निर्यात के लिए होता है।

ङ. ताइवान में कास्टिक सोडा का घरेलू बाजार कमजोर है और इस कारण उत्पादकों पर उनकी क्षमता का उपयोग करने का दबाव पड़ रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि यहां तक कि यद्यपि मांग उसे ठीक कर रही है तो जारी रहने की संभावना नहीं है तथा इस प्रकार उत्पादकों पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।

च. तीसरे देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है। यह स्पष्ट रूप से ताइवान से सामान को निर्यात बाजार में पाटित करने के लिए निर्यातकों के व्यवहार को दर्शाता है।

छ. वैश्विक रूप से, क्षमताएं मांग में तद्नुरूपी वृद्धि के बिना और अधिक बढ़ाई गई हैं। इस प्रकार, क्षमताओं का उपयोग करने तथा अनुकूल बाजारों में संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए दबाव है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

51. ताइवान से कुल आयात में काफी कम आयात (अर्थात केवल 1.7 प्रतिशत) है और जांच की अवधि के दौरान भारतीय मांग का वह केवल 0.25 प्रतिशत है। वस्तुतः ताइवान से आयात कुल आयात तथा भारतीय मांग की तुलना में क्षति अवधि के दौरान निरंतर कम रहे हैं जो स्पष्ट रूप से दीर्घावधि प्रवृत्ति में यह दर्शाता है कि यदि ताइवान के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बंद किया जाता है तो ताइवान से आयात नहीं बढ़ेगा। इतने कम आयात से कानूनी रूप से अथवा आंकड़ों की दृष्टि से किसी क्षति के होने अथवा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना नहीं हो सकती।

प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना अथवा उसके होते रहने की स्थिति की जांच की है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा क्षति के होते रहने की संभावना की जांच की है। नियमावली के अनुबंध-II के उप वाक्य (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ चार कारकों का प्रावधान है जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यथा-

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।

53. चीनी तैपई के निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014 और अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 की क्षति अवधि के दौरान आयात क्रमशः 1 मी. टन, 3979 मी. टन और 1315 मी. टन तक हैं। पूरी जांच की अवधि (अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016) के दौरान बहुत कम आयात

हुए हैं। वस्तुतः केवल 8151 मी. टन का सामान आयात हुआ है और जांच की अवधि के बाद के दौरान छः माह (अप्रैल, 2016 -सितंबर, 2016) में कोई आयात नहीं हुआ है। अतः यह पाया जाता है कि पाटित आयातों की संभावना बहुत ही कम है।

54. निर्यातकों से कोई उत्तर नहीं मिला है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ताइवान के पास बहुत ज्यादा अधिशेष क्षमताएं हैं और दी गई सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देश के उत्पादक अर्थात मैसर्स फोर्मोसा प्लास्टिक कारपोरेशन के पास 13,30,000 मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता है। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का अधिकतर उत्पादन दूसरे देशों, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि को निर्यातित किया गया है और कोई अधिशेष क्षमताएं नहीं हैं। जांच की अवधि के बाद की अवधि के छः माह के दौरान संबद्ध देश से कोई निर्यात नहीं हुआ है। अतः भारत में पाटित आयातों की संभावना बहुत ही कम है।

55. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान 100 पहुँच मूल्य सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 87 पहुँच मूल्य सूचकांक पर कम हो गया। घरेलू उद्योग का बिक्री कीमत सूचकांक अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान 100 से बढ़कर 106 हो गया। अतः आयात का क्षति की अवधि के दौरान घरेलू कीमत पर दमनकारी प्रभाव रहा है। चूंकि, जांच की अवधि के बाद छः माह के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह जांच की अवधि के बाद के लिए घरेलू कीमत पर दमनकारी अथवा न्यूनीकरण प्रभाव की जांच कर सकें।

56. चूंकि, संबद्ध देश के किसी निर्यातक से कोई उत्तर नहीं मिला है, अतः प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह निर्यातकों की मांग सूची के स्तर की जांच कर सकें।

ट. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

57. निरंतर क्षति, घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री और न्यूनीकरण प्रभाव की दृष्टि से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी द्वारा भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार के अधीन सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मापदंडों की जाँच की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, जो निम्नानुसार है

क) तीसरे देशों से आयात – चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई, ईरान, सउदी अरब और यूएसए से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है। इसके अलावा, जापान और कतर से काफी आयात हुए हैं जिनके संबंध में प्राधिकारी अलग से जाँच कर रहे हैं।

ख) मांग की प्रवृति – मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, पाटित आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ग) अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन – घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के कार्यनिष्पादन का संबद्ध उतपाद के सूचित कार्यनिष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, अन्य कारकों के कारण कोई क्षति, यदि कोई हो, को याचिकाकर्ता द्वारा अलग किया गया है।

घ) खपत की प्रवृति में परिवर्तन – विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, खपत की प्रवृति में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

ङ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा :- ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च) प्रौद्योगिकी का विकास:- संबंधित उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

छ) निर्यात कार्यनिष्पादन – घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति केवल घरेलू प्रचालनों के कारण है। घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि में कुछ निर्यात किए हैं। तथापि इस कारक को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

ज) उत्पादकता - घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग की उत्पादकता में विकृति के कारण नहीं हुई है।

ठ. प्रकटन के बाद की टिप्पणियां

58. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उनमें उठाए गए मुद्दों को पहले भी जांच के दौरान उठाया गया है और उन पर उचित रूप से ध्यान भी दिया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की निम्नानुसार जांच की जा रही है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

59. अनुरोधों को निम्नानुसार संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया हैः

क. सामान्य मूल्य को आईएचएस केमिकल के तहत रिपोर्ट की गई कीमतों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य को प्रमुख ट्रेड जरनल द्वारा प्रमाणित की गई घरेलू कीमतों की अवहेलना करते हुए, अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। आईएचएस केमिकल साप्ताहिक में बताई गई कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करना सुनिश्चित पाटन मार्जिन को दर्शाएगा। निर्मित सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित निम्नतम एनआईपी के आधार पर निर्धारित किया गया है। निम्नतम एनआईपी के तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है।

ख. अपर्याप्त क्षति मार्जिन के कारण निर्धारित एनआईपी अत्यधिक निम्न है। निष्पक्ष तुलना के सिद्धांतों को क्षति मार्जिन के निर्धारण में लागू नहीं किया गया है।

ग. कच्ची सामग्री का उपयोग और यूटिलिटी उपयोग पर विगत में प्राप्त सर्वोत्तम स्तरों पर इस कारण विचार नहीं किया जाना चाहिए कि खपत में वृद्धि का कारण ऐसे इनपुट का अपर्याप्त उपयोग नहीं है।

घ. प्राधिकारी द्वारा उत्पादन की वास्तविक लागत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है और न कि ऐसी कीमत निर्धारित करने के लिए उत्पादन की सांकेतिक निम्नतर कीमत, जिसकी क्षति मार्जिन का आकलन करने के लिए आयात कीमत के साथ तुलना की जा सकती है।

ङ. नियोजित पूंजी को निर्धारित परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य या निर्धारित परिसंपत्तियों के निम्नतम सकल मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, निवल निर्धारित परिसंपत्तियों को अपनाना अत्यधिक अनुपयुक्त है और वास्तव में, घरेलू उद्योग के प्रति अनुचित है।

च. अधिशेष क्षमता और घरेलू उद्योग में कठोरता के तथ्य के साथ-साथ ताइवान में साप्ताहांत मांग दर्शाती है कि यह संभव है कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में उत्पादक भारत को निर्यातों को और गहन कर देंगे। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में सामग्री की बाढ़ आ जाएगी।

छ. तीसरे देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सुनिश्चित और उल्लेखनीय है। यह निर्यात बाजार में माल को पाटित करने के लिए ताइवान से निर्यातकों के व्यवहार को दर्शाता है।

ज. पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत में कास्टिक सोडे की बढ़ती मांग और अनुकूल बाजार अवसर पूरे विश्व के उत्पादकों को भारतीय बाजार में आक्रामक रूप से माल निर्यात करने के लिए आकर्षित करेंगे।

झ. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती जांच की अवधि में अधिक है। अतः, यह साक्ष्य है कि यदि इस समय विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती होगी, जिससे घरेलू उद्योग को सामग्री की क्षति होगी।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध

60. नालको द्वारा किए गए अनुरोधों को नीचे संक्षिप्त रूप में दिया गया हैः

क. उन्होंने आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

ख. घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सहभागिता के लिए उनकी निविदाएं खुली हैं, तथापि, केवल सीमित घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। प्रस्तावित मात्रा नालको की आवश्यकता को पूरा नहीं करती, परिणामस्वरूप इसका विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात करना पड़ा।

ग. यहां मांग – आपूर्ति अंतर विद्यमान है क्योंकि घरेलू आपूर्तिकर्ता नालको को कास्टिक सोडा की पूरी मात्रा प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। एल्युमीना रिफाइनरीज से कास्टिक सोडे की मांग बढ़ रही है, किंतु घरेलू विनिर्माता मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

घ. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना सीपीएसई के हित में नहीं है और इसलिए, जनता के हित के विरुद्ध है, जिसका धन इसमें निवेशित है।

61. ताइवान सरकार ने अनुरोध किया है कि:

क. जांच की अवधि के दौरान ताइवान से आयात 2 प्रतिशत से बहुत कम है और आयातों की इतनी कम मात्रा से क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना नहीं बनती।

ख. जांच की अवधि के दौरान ताइवान से आयात भारतीय मांग का सिर्फ 0.24 प्रतिशत रहा है। ऐसे न्यूनतम आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकते। इसके अतिरिक्त, ताइवान से आयात लगातार निम्न बने रहे हैं और कुल आयात तथा भारतीय मांग की तुलना में क्षति अवधि के दौरान इसमें कमी आई है जो एक स्पष्ट दीर्घावधिक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में ताइवान से आयातों में वृद्धि नहीं होगी।

ग. इस समय ऋणात्मक पाटन और ऋणात्मक क्षति मार्जिन है। संभावना के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जांच की अवधि के दौरान पश्च आयातों की मात्रा, उत्पादकों/निर्यातकों का निर्यात प्रचालन आदि जैसे कारकों की किए जाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मूल्य आकर्षकता और सतत पाटन से संबंधित कथन किसी सुनिश्चित साक्ष्य पर आधारित होने के स्थान पर केवल अटकलबाजी है।

घ. इस तथ्य पर उचित जोर दिया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति की कमी को दर्शाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

62. यह नोट किया गया है कि प्रकटीकरण पश्चात स्थिति में उठाए गए मुद्दों की उपर्युक्त संगत पैराग्राफों में प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की गई है, तथापि, निवेदनों की स्पष्टता के लिए, उनका निम्ननानुसार उल्लेख किया गया है।

क. क्षति रहित कीमत और उत्पादन की लागत को नियमावली के प्रावधानों और संगणना के लिए निदेशालय में अनुसरित समान पद्धतियों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

ख. निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य को निदेशालय में अनुसरित समान पद्धतियों के अनुसार, सर्वाधिक कार्यकुशल घरेलू उत्पादकों के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्मित किया गया है।

ग. घरेलू बाजार में मांग – आपूर्ति अंतर महत्वपूर्ण नहीं है और घरेलू उद्योग क्रयकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अपने साधनों के भीतर सक्षम है। चूंकि, पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने का अभिप्राय आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है बल्कि केवल कथित पाटन में संलग्न निर्यातकों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को समान व्यापार स्तर उपलब्ध कराना है।

घ. अन्य देशों से आयातों की तुलना में ताइवान से आयात बहुत कम हैं। संभाव्यता विश्लेषण से संबंधित कानूनों में निर्धारित विभिन्न अन्य कारकों का भी पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष

63. प्राधिकारी ने निम्नलिखित बातों के ध्यान में रखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि:

क. संबद्ध सामान संबद्ध देश से भारत में निर्यात किए गए हैं, तथापि, वे पाटित कीमतों पर नहीं हैं।

ख. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।

ट. सिफारिशें

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समीक्षा जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सतत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, सतत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की वर्तमान समीक्षा जांच शुरू किए जाने और कर दिए जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से निर्यात पाटित नहीं किए जा रहे हैं तथा आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है, इसके अतिरिक्त, शुल्क बंद किए जाने की दृष्टि से क्षति की संभावना का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामान के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई कारण नहीं है। उपर्युक्त निष्कर्ष निकाले जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING& ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

(Final Findings)

Subject : Sunset Review Investigation (SSR) concerning imports of caustic soda, originating in or exported from Chinese Taipei.

F. No.15/10/2016-DGAD.— A. BACKGROUND OF THE CASE:—

1. Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation for imposition of anti-dumping duty on import of Caustic Soda (herein after referred to as the subject goods) originating in or exported from Thailand, Chinese Taipei and Norway, vide notification dated 31st May, 2010. Thereafter, vide Final Finding Notification No.14/1/2010 dated 30th June, 2011, the Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on import of the subject goods originating in or exported from the above countries and vide Customs Notification No.79/2011-Customs dated 23rd August, 2011, definitive duties were imposed for a period of five years.
2. Whereas, in terms of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.
3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of expiry of the measure as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Whereas, M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) (hereinafter also referred to as the applicants or the petitioners or the domestic industry) on behalf of the manufacturers of Caustic Soda representing the Domestic Industry in India approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter also referred to as subject country) and seeking continuation of anti-dumping duty on the imports originating in or exported from Chinese Taipei. The request was based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from Chinese Taipei and the expiry of the measure would likely to result in dumping from that country and consequent injury to the domestic industry.
5. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/10/2016-DGAD dated 8th August, 2016 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
6. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country

A. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

   i. The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the sunset review investigations in accordance with Rule 6(2).

   ii. The Authority provided copy of the non-confidential version of the application to the known exporters

and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the form of a public file and provided to other interested parties, wherever requested.

iii. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known manufacturers/exporters in the subject country (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4).

a) Cathay Chemicals Co. Ltd., Taipei, Taiwan

b) Formosa Plastics Corporation,Taipei, Taiwan, R. O. C

iv. None of the producers/exporters of the subject goods in the subject country have cooperated, nor filed questionnaire response.

v. The Authority forwarded copy of Notification to the following known importers/consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):

a) Abhay Chemicals Limited, Gujarat

b) Albright Wilson Chemicals Limited, Mumbai

c) Arvind Mills Limited, Gujarat

d) Birla Cellulose Limited, Gujarat

e) Central Pulp Mills Limited, New Delhi

f) Deepak Nitrite Limited, Gujarat

g) Godrej Sopas Limited, Mumbai

h) Gujarat Narmada Fertilizer & Chemicals Limited, Gujarat

i) Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited, Gujarat

j) Indian Farmer Fertilizer Coop. Ltd

k) Indian Oil Corporation Limited, Gujarat

l) JaysynthDyechem Limited, Mumbai

m) Link Pharma Ltd., Gujarat

n) Meghmani Organics Limited, Gujarat

o) Narmada Chemature Petrochemicals Ltd., Gujarat

p) Nirma Limited, Gujarat

q) Pab Chemicals (P) Ltd, Gujarat

r) Rama News Prints & Papers Ltd, Gujarat

s) Rubamin Limited, Gujarat

t) Sabero Organics Limited, Mumbai

u) Torrent Gujarat Biotech Limited, Gujarat

v) TranspekSilox Industries Limited, Gujarat

w) National Aluminium Company Ltd, Orissa

x) Cyanides & Chemicals Company, Mumbai

y) HitsuIndustries Limited, Gujarat

z) Adani Exports Limited, Gujarat

aa) AdaniWilmar Limited, Gujarat

bb) Libra Foams, Uttar Pradesh

cc) Shri Ramchandra Straw Products Ltd, Uttar Pradesh

dd) Bilag Industries Pvt. Ltd., Gujarat

ee) Daurate Organics Limited, New Delhi

ff) CJ Shah & Co., Mumbai

gg) Harish Kr & Company, Mumbai

hh) Hindustan Link & Resins Limited, Gujarat

ii) Hindustan Lever limited, Mumbai

vi. Hindustan Lever limited, Mumbai had filed a letter of participation, but did not file any submission nor attended the oral hearing conducted by the Authority. Further, M/s NALCO Ltd filed an importer's questionnaire response, though it was incomplete. M/s NALCO Ltd also participated in the oral hearing and filed written submissions, which have been taken on record.

vii. Government of Taiwan participated in the Oral Hearing and filed the written submission of their Oral statements, which have been taken on record.

viii. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2015 – 31st March, 2016 (12 months). However, injury analysis covers the years 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI.

ix. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the same has been relied upon for the purpose of analysis in this investigation.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by Interested parties, in the form of a public file kept open for inspection by the other interested parties as per Rule 6(7).

xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods.

xii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views in oral hearings held on 22nd May, 2017. The interested parties attending the hearings were requested to file written submissions of the views expressed orally and rejoinder against the submissions made by opposing interested parties. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this finding.

xiii. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding to the extent possible and verified of the data/documents given by the Domestic Industry to the extent considered relevant and necessary.

xiv. Information provided by the interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xv. A Disclosure Statement was issued on 12.07.2017 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 19.07.2017 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.

xvi. *** in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xvii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs. 65.91 = 1US$.

B. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

8. The product under consideration in the present sunset review investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda, in all forms.

9. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e., lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics.

10. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

11. Since none of the interested parties has made any comment or submissions with regard to product under consideration and like article, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

12. The application for the review was filed by the Alkali Manufacturers Association of India on behalf of M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, M/s Grasim Industries Ltd, and M/s DCW Ltd, commanding 33% of domestic production of the subject goods as participating domestic producers for the purpose of injury investigation.

13. Post initiation, the applicant association was directed to file cost and injury information with regard to more domestic producers. In compliance, the applicants have submitted cost and injury data of all units of the above domestic producers and SIEL Ltd. accounting for about 47.74% of the total domestic production during the POI. None of the interested parties have made any contrary submissions. Accordingly, for the purpose of injury investigation, the following domestic producers, constituting a major proportion of the domestic production of the subject goods, have been treated as the Domestic Industry in this review investigation.

i. GACL Baroda,
ii. GACL Dahej
iii. DCW Limited
iv. Grasim Industries Ltd, Nagda
v. Grasim Industries Ltd, Rehla
vi. Grasim Industries Ltd, Vilayat
vii. Grasim Industries Ltd, Karwar
viii. Grasim Industries Ltd, Renukoot
ix. ABCIL, Veraval
x. SIEL Chemical Complex, Rajpura

D. Miscellaneous submissions by the interested parties Views of the Domestic Industry

14. The submissions by the domestic industry is as follows:

a. The domestic industry is more than willing to sell goods to NALCO at fair prices. In fact, past cases have shown that after imposition of ADD, supplies to NALCO have been made largely by the domestic producers

b. In the past NALCO had imposed a condition in the tender whereby NALCO permitted the foreign suppliers to change country of origin of the goods in case the Govt. of India imposes ADD on some

source. Despite such situations, the domestic industry has been making all efforts to supply goods to NALCO.

c. The Designated Authority is not recognizing a hard business reality with regard to injury to the domestic industry – that the injury and injury margin is required to be determined at the consumers end. The injury margin must be determined after adding freight

d. Currently, there is no demand supply gap in the country and therefore imports are not a necessity. In any case, the petitioner is not against imports per se.

e. Export market is not the target market of the domestic producers which is also evident from the fact that exports constitute a very small share of total production for the domestic producers. The domestic producers would always prefer to sell goods at fair price in the domestic market.

15. The submissions made by M/s NALCO Ltd are as follows:

a. The company had invited Global Tenders open for both foreign and domestic producers. Domestic suppliers are not able to meet the full requirement of the company which is needed to be covered through imports. Domestic production of Caustic Soda is around 33 Lakh MT per annum (Assessed by NALCO and AMAI). Some domestic suppliers are supplying to NALCO regularly but in limited amount because of various logistic constraints, production limitations, captive consumption and sale strategies from their end.

b. Production of Alumina is increasing but the production of Caustic Soda is not increasing. The Anti-Dumping measure on imports of Caustic Soda is adding up to the cost of company making it harder to compete in domestic and foreign markets with competitive rates.

c. Caustic Soda is being exported from India (11 Lakh MT in 2015-16). This shows domestic manufacturers are able to sell enough quantity outside without supplying full quantity to NALCO.

d. Restricting import from Taiwan because of AD duty will limit NALCO’s source of supplies. This will consequently lead to increase of price by overseas suppliers while selling to NALCO. The feedback from overseas suppliers clearly indicate lack of interest in supplying to NALCO, due to existence of AD duty, which is detrimental to the interests of both NALCO and the nation.

16. The submissions made by Government of Taiwan are as follows :

a. The miniscule imports from Taiwan i.e. only 1.7% in total imports and mere 0.25% of Indian demand, during the POI cannot legally and statistically cause any injury or any likelihood continuation of injury to the domestic industry. Moreover, imports from Taiwan have been consistently low during the injury period vis-à-vis total imports and Indian demand, which clearly indicates a long-term trend that imports from Taiwan will not increase if anti-dumping duty is discontinued against Taiwan.

b. There is a severe pressure on the Domestic Industry due to imports from Iran and China occupying 40% and 14%of the Indian market respectively during the POI. These countries are already subject to anti-dumping duty but still occupy such high market share in India.

Examination by the Authority

17. The submission by the interested parties have been examined as follows:

a. As regards the claim that the domestic industry is not willing to provide subject goods to M/s NALCO Ltd, the Authority notes that no credible evidence has been placed to substantiate the claim. Further, the capacity of the domestic industry is not completely utilised, thus, there appears no reason for the domestic industry to not sell goods to M/s NALCO Ltd. During the hearing, Domestic Industry specially stated that they most definitely want to supply goods to NALCO and any other Indian user.

b. As regards the argument regarding restriction on source of imports causing shortage, the Authority notes that the anti-dumping duties does not restrict imports, it only aims at providing level playing field to the domestic industry. Further there is no demand supply gap in the country.

c. As regards the argument of the domestic industry regarding inclusion of freight in determining injury margin, the authority notes that while calculating NIP, freight is not included as per established uniform practice by the Directorate and the provisions of anti-dumping rules.

E. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

18. Under section 9A (1) (c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

19. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the producer/ exporter from subject country has co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses.

20. In the absence of cooperation from any producers/exporters in the subject country, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules read with Article 6.8 of the WTO Agreement. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject country as follows:

Normal Value for all producers/exporters from Chinese Taipei

21. The Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of subject country for determining normal value in subject country. The petitioners claimed that there is no evidence of actual selling price prevailing in the domestic market of the subject country in the form of commercial invoices. None of the exporters in subject country has cooperated with the Authority with questionnaire response. In view of the above, the normal value for the subject products imported from China PR into India has been determined on "any other basis" by considering best available information with regard to cost of production and after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value has been constructed considering consumption of major raw materials as per information provided by the domestic industry, international prices for major raw materials, conversion cost, etc. at the levels allowed for the domestic industry. Further, reasonable profit @ 5% of cost of sales has also been added for constructing Normal Value. The normal value has been determined as mentioned in dumping margin table below.

Export price for all producers/exporters from Chinese Taipei

22. Since none of the exporters from the subject country has responded to the Authority, the Authority has determined the Export Price in respect of imports from Chinese Taipei on the basis of best information available in accordance with the Rules. The Authority has adopted the transaction wise data procured from the DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. The export price has been adjusted for inland and ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges etc. to determine ex-factory export price of the product under consideration. The export price has been determined as mentioned in Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

23. The subject goods are produced and traded in two forms namely lye and flake. As import of only lye form has taken place, accordingly, the constructed normal value for lye form only has been compared

with the relevant net export price for calculation of Dumping Margin. After the analysis of the data, the dumping margin is worked out as mentioned in the table below.

Description	NEP (US$/MT)	Constructed Normal Value (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
Caustic Soda Lye	***	***	(***)	(***)	(15)-(5)

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION

Submissions made by the Domestic Industry

24. The submissions of the Domestic Industry have been summarised as below:

a) There were no imports in 2012-13 and import started coming in from 2013-14. Imports increased in 2014-15 and then declined in POI. Imports have been low during the injury period in view of the antidumping duty in place. The imports have however been made at dumped price.

b) The imports from Taiwan shows a clear cut pattern, without anti-dumping duties, the imports surges from Taiwan (at dumped prices) and with imposition of anti-dumping duties, the imports declines drastically. The decline in imports from Taiwan in the first case led to significant increase in imports from Taiwan thereafter. This in turn led to a fresh investigation and imposition of anti dumping duties once again.

c) The imports from Taiwan at present are low in view of anti dumping duties in force, however, the producers in subject country are capable to intensify dumped exports to India in the event of cessation of anti dumping duties.

d) Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the domestic market.

e) Both, cost of sales as well as selling price have increased over the injury period, however the selling price could not increase in proportion to the increase in cost of sales. Thus the domestic industry is already facing price suppression effect

f) Inventories with the domestic industry increased till 2014-15 and declined in POI. Inventory levels have remained significant.

g) The profits have consistently and significantly declined over the injury period in view of the presence of dumped imports in the country;

h) The return on investments and cash profits has also declined over the injury period.

i) The market share of domestic industry in demand has declined.

j) Production, sales and capacity utilization have shown some improvement.

k) Thus, it would be seen that the Domestic Industry has suffered continued injury. Situation of the Domestic Industry is clearly fragile and the anti-dumping duties have not been able to have the desired an intended effect on the performance of the Domestic Industry.

Submissions by the Interested Parties

25. The Government of Taiwan have submitted that:

a. The injury to the domestic industry is due to other factors and not on account of dumping from Taiwan.

b. There is a Positive trend in economic parameters i.e. profitability, cash profit, return on capital, capacity utilisation and production of the domestic industry. Although there is reduction in the domestic industry’s overall sales in the POI of about 7000 MT when compared with the base year 2012-13, which is a very normal business trend and does not demonstrate any injury due to miniscule imports from Taiwan.

c. The domestic industry increased its capacity during 2014-15 which creates doubts on whether injury should be attributed to the domestic industry's decision to expand in the injury period or to miniscule imports from Taiwan. There is no case for likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury due to imports from Taiwan in terms of Article 11.1 and Article 11.2 of the Anti-dumping Agreement, hence, the sunset review against Taiwan should be immediately terminated.

Examination by the Authority

26. The injury analysis made by the Authority here under *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

27. For examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

28. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

(i) <u>Demand and market share</u>

29. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the Domestic Industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below. The caustic soda is manufactured in two forms, lye as well as flake and both the forms are covered within the scope of the subject goods in the original as well as present review investigation.

Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	MT	969,113	1,038,253	988,766	1,011,106
Sales of Other Indian producers	MT	1,558,513	1,579,744	1,825,113	1,854,952
Imports- Subject Country	MT	-	3,979	13,158	8,151
Imports- Other Countries attracting duties	MT	31,591	68,120	57,003	154,768
Imports- Other Countries	MT	257,624	230,780	320,697	306,211
Total Demand	MT	2,831,112	2,922,472	3,220,537	3,340,945
Market Share in Demand					
Of domestic sales	%	34	36	31	30
Of subject country	%	-	0.14	0.41	0.24

30. The Authority notes that demand has increased during the POI as compared to the base year. The market share of the Domestic Industry in total demand has marginally declined over the injury period. Imports from subject country have been low during the injury period in view of the antidumping duty in place and consequently market share of the subject country is low.

<u>Volume Effects of Dumped Imports</u>

(ii) <u>Import Volume and Market Share</u>

31. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS. The volume of imports of the subject goods from the subject country have been analysed for 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI as under:

Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Subject Country	MT	0	3,979	13,158	8,151
Other countries	MT	14,272	1,595	15,799	5,757
Countries under Investigation	MT	31,591	68,120	57,003	154,768
Countries attracting ADD	MT	257,624	230,780	320,697	306,211
Total Import	MT	303,486	304,474	406,657	474,887
Imports Share					
Subject country	%	0%	1%	3%	2%
Other Countries	%	5%	1%	4%	1%

32. The Authority notes that the imports from the subject country have remained low throughout the injury period. The imports have declined significantly during POI as compared to previous year, however as compared to base year, the imports have shown increase during POI. Import from other countries, covered under a separate investigation, namely, Japan and Qatar have increased significantly. Domestic industry has contended that the decline in imports from subject country is due to prevailing anti-dumping duties, however, cessation of anti dumping duties on subject country would result in increase in dumped imports as had happened on earlier occasion where upon cessation of duties, significant dumped imports started to come in resulting into fresh investigation and re-imposition of anti-dumping duties against subject country. The duty so levied is in force. It is noted that the imports from Chinese Taipei at present are low in view of anti dumping duties in force, however, the producers in subject country are capable to intensify dumped exports to India in the event of cessation of anti dumping duties.

(iii) <u>Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry</u>

33. With regard to the effect of the alleged dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the alleged dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

(a) <u>Price Undercutting</u>

34. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level

35. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports (without the prevailing ADD) with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. It is seen that the landed price of imports is lower than the selling price of the domestic industry and resulting in positive price undercutting should the present anti dumping duty be allowed to expire, as shown in the following table:

Price Undercutting	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Landed price of imports	Rs./MT	29,596	30,740	24,863	25,769
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	(***)	(***)	***	***
Price Undercutting	%	(***)	(***)	***	***
Price Undercutting	% Range	(0-10)	(10-20)	10-20	10-20

(b) <u>Price suppression and depression effects of the dumped imports:</u>

36. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Landed price of Imports from subject country	Rs./MT	*29,596*	*30,740*	*24,863*	*25,769*
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*84*	*87*
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*126*	*123*
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*91*	*104*	*106*

37. From the above information, obtained from DGCI&S data, the Authority notes that landed price of imports have declined as compared to base year but increased as compared to previous year. The cost of sales of the Domestic Industry has increased over the injury period; the selling price has also increased, however, the increase is not to the extent of increase in the cost. Thus imports have suppressing effect on the domestic prices in the market.

(c) <u>Price Underselling</u>

38. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration in POI in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.

Landed Value US$/MT	Non Injurious Price US$/MT	Price Underselling US$/MT	Price Underselling %	Price Underselling Range
390.98	***	(***)	(***)	(10)-0

39. It is seen that the landed price of the subject goods is higher than the NIP determined for the domestic industry and thus underselling is negative.

H. Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry

(i) <u>Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization</u>

40. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Installed capacity	MT	1,206,050	1,297,543	1,410,650	1,445,800
Production	MT	1,076,792	1,144,178	1,247,463	1,331,558
Capacity Utilization	%	89.28	88.18	88.43	92.10
Domestic Sales	MT	969,113	1,038,253	988,766	1,011,106
Demand	MT	2,831,112	2,922,472	3,220,537	3,340,945

41. From the above information, the Authority notes that the capacity and production of the Domestic Industry has increased during the injury period as also the demand in the domestic market. Further, both sales and capacity utilization have also increased during the POI as compared to the base year in line with increase in demand.

(ii) <u>Inventories:</u>

42. Data relating to inventories shows as follows:

Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	126	127	90

43. It is noted that inventories with the domestic industry increased till 2014-15 and declined in POI. Inventory levels have however remained significant.

(iii) <u>Profits and actual and potential effects on the cash flow</u>

44. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of Domestic Industry in terms of profit before tax, cash profit and ROI has decreased in POI as compared to base year but when compared to previous year the same has increased during POI.

Particulars	Unit	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*113*	*112*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*98*	*100*
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*63*	*42*	*57*
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*68*	*43*	*60*
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*71*	*51*	*71*

Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*79*	*57*	*72*
Return of investment	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*59*	*41*	*59*

(iv) Employment, wages and productivity

45. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Particulars	UOM	2012- 13	2013-14	2014-15	POI
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*110*	*117*
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	105	105	106
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	122	136	151

46. It is noted that there was increase in the number of employees, the productivity and wages during the entire injury period and POI.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

47. The determined non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry in Caustic Soda in Lye form has been compared with the landed value of the exports from subject country for determination of injury margin during POI. As the imports are of caustic soda in lye form only, the landed value of the subject goods have been compared with NIP of Caustic Soda in Lye form for calculation of injury margin. The injury margin determined are as under:-

Landed Value US$/MT	**NIP US$/MT**	**Injury Margin US$/MT**	**Injury Margin (%)**	**Injury Margin (Range)**
391	***	(***)	(***)	(10)-0

CONCLUSION ON INJURY

48. The Authority notes that the volume of dumped imports from the subject country has been low throughout the injury period in view of anti-dumping duty in place. It is noted that growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales has been positive, however growth in terms of profits, cash profit, ROI has been negative as compared to base year 2012-13 but again it is positive as compared to previous year 2014-15. It is also noted that the imports though low in volume, are causing price undercutting and also supressing the prices of the domestic industry, when calculated without taking into account the existing anti-dumping duties, though the same is not significant.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

49. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likelihood scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were allowed to expire.

Submissions by the domestic industry

50. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury:

a. The product has a very long history of continued and renewed dumping in the Country for more than a decade. The Designated Authority has as of now recommended antidumping duty on various countries. Thus the subject goods is vulnerable to dumping.

b. The previous investigation established existence of significant dumping.

c. Decline in imports post imposition of duty in itself justifies extension of anti dumping duty and in the event of withdrawal of duty there is likelihood of increase in dumped imports causing injury to the domestic industry.

d. Producers in Taiwan are holding huge surplus capacities. Previous findings of the Designated Authority establish the same. Further, capacity with one of the producer alone in Taiwan, namely, M/s Formosa is 13,30,000 MT/year as per their own website. Public research shows that 40% of the subject goods produced by Taiwan are meant for exports.

e. The domestic market of caustic soda in Taiwan is weak and this is causing pressure on the producers to utilise their capacity. It has been projected that even though demand is recovering the same is not likely to continue thus putting more pressure on the producers

f. Dumping margin and injury margin determined for third country is positive and significant. This clearly shows the behavior of the exporters from Taiwan to dump the goods to export market

g. Globally, capacities have further been added without corresponding increase in demand. Thus, there is a pressure to utilize capacities and export subject goods to favorable markets

Submissions by other interested parties

51. There are miniscule imports from Taiwan (i.e. only 1.7%) in total imports and mere 0.25% of Indian demand, during the POI. In fact imports from Taiwan have been consistently low during the injury period vis-à-vis total imports and Indian demand, which clearly indicates a long-term trend that imports from Taiwan will not increase if anti-dumping duty is discontinued against Taiwan. Such low imports cannot legally or statistically cause any injury or any likelihood continuation of injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

52. The Authority has examined the contention of Domestic Industry and other interested parties to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides inter alia for four factors which are required to be taken into consideration, viz:

a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or supressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

d. Inventories of the article being investigated.

53. Exporter from Chinese Taipei have not given any response. The DGCI&S data shows that during the injury period April 2012- March 2013, April 2013- March 2014 and April 2014- March 2015, the imports are to the extent of 0MT, 3979 MT and 13,158 MT respectively. During the entire POI (April 2015 to March 2016) there are very low imports in fact only one consignment of 8151 MT has been imported and during the post POI of six months (April 2016 to Sept 2016) there are no imports. Therefore it is observed that likelihood of dumped imports is very rare.

54. There is no response from the exporters. Domestic Industry claimed that Taiwan is holding huge surplus capacities and the information provided shows that capacity with one of the producer from subject country namely, M/s Formosa Plastics Corporation is 13,30,000 MT/ year. The information provided by the petitioner also shows that majority of the production of the subject goods from the subject country has been exported to other countries particularly Australia, Canada and USA etc. and there are no surplus quantities. There are no exports from the subject country during Post POI of 6 months. Therefore, likelihood of dumped imports to India is rare.

55. The DGCI&S data shows that landed price of imports from the subject country have declined from 100 landed price index in 2012 - 2013 to 87 landed price index during POI. Selling price index of Domestic Industry increased from 100 in 2012 - 2013 to 106 in POI. Therefore, imports have supressing effects on the domestic price during injury period. Since there are no exports during 6 months of Post POI it is not possible for the Authority to check depressing or supressing effect on domestic price for the post POI period.

56. As there is no response from any exporters of the subject country, it is not possible for the Authority to check the level of inventories with the exporters.

K. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

57. Having examined the existence of continued injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows

a) Imports from third countries-The imports of the product under consideration from China PR, Korea RP, Chinese Taipei, Iran, Saudi Arabia & USA are already attracting antidumping duties. Further, there are significant imports from Japan and Qatar with regard to which the Authority is undertaking a separate investigation.

b) Trend in Demand-The demand has increased over the injury period. However, the dumped imports have not increased in the Period of Investigation when compared to the previous year. The change in demand is not causing injury to the Domestic Industry.

c) Performance of other products- Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over the reported performance of the subject product. Further, injury, if any, due to other factors has been segregated by the Petitioner.

d) Changes in the pattern of consumption: - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

e) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

f) Developments in technology: - Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

g) Export performance: - The claimed injury to the Domestic Industry is solely on account of domestic operations. The Domestic Industry has made some exports throughout the injury period. However, this factor cannot be said to have caused injury to the Domestic Injury.

h) Productivity: - The claimed injury to the Domestic Industry is not due to deterioration in productivity of the Domestic Industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

58. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

Submission made by the Domestic Industry

59. The submissions have been summarized as below:

a. Normal value should be determined considering the prices as reported under IHS Chemical. The normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production, disregarding the domestic prices evidenced by the leading trade journal. Consideration of normal value on the basis of price reported in IHS Chemical weekly will show positive dumping margin.The constructed normal value has been determined on the basis of lowest NIP determined for the domestic industry.Consideration of lowest NIP is without legal basis.

b. NIP determined is too low leading to insufficient injury margin.The principles of fair comparison have not been applied in determining injury margin.

c. The raw materials utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past for the reason that the cause of increase in the consumption is not inefficient utilization of such inputs.

d. The authority is required to determine actual cost of production and not a notional lower cost of production in order to determine a price which can be compared with the import price in order to assess injury margin.

e. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets, or at the least gross value of fixed assets. In any case, adoption of net fixed assets is highly inappropriate and, in fact, unfair to the domestic industry.

f. The weekend demand in Taiwan coupled with the fact of surplus capacity and stiff competition in the domestic market shows that it is likely that the producers will intensify exports to India in the event of cessation of anti-dumping duties. The domestic industry is vulnerable to injury from dumped imports. There is a great possibility that expiry of duty will result in flooding of the material in the Indian market.

g. Dumping margin and injury margin determined for third country is positive and significant. This clearly shows the behavior of the exporters from Taiwan to dump the goods to export market.

h. The growing demand of Caustic Soda in India and favorable market opportunity attracts the producers globally to aggressively export goods to the Indian market in the event of cessation of anti-dumping duties.

i. Price undercutting without anti-dumping duty is high in the POI. Thus, it is evident that if anti-dumping duties currently in place are allowed to expire; the imports would cause severe price undercutting which would cause material injury to the Domestic Industry.

Submission made by other interested parties/Producers/Exporters/Importers

60. The submissions by NALCO have been summarized as below:

a. They have submitted the Importers Questionnaire response.

b. Their tenders are open for participation by domestic suppliers, however, limited domestic suppliers only participate in it. The quantity offered doesn't meet NALCO's requirement, resultantly it had to import from foreign suppliers.

c. There exist a demand- supply gap since the domestic suppliers are not in a position to offer full quantity of Caustic Soda to NALCO. Demand for caustic soda from Alumina refineries are increasing but the domestic manufacturers are unable to meet the demand.

d. Imposition of ADD is not in the interest of CPSE and, therefore, against the interest of public, whose money has been invested in it.

61. The Government of Taiwan have submitted that:

a. Imports from Taiwan is much low than 2% during the POI and such low volumes of imports cannot establish likelihood of continuation/recurrence of injury.

b. Imports from Taiwan are mere 0.24% of the Indian demand during POI. Such minuscule imports cannot cause injury to the Domestic Industry. Moreover, imports from Taiwan have been consistently low and have decreased during injury period vis-à-vis total imports and Indian demand which demonstrates a clear long term trend that imports from Taiwan will not increase when ADD is discontinued.

c. There is negative dumping and negative injury margin. The factors like quantum of post POI imports, export orientation of the producers/exporters, etc should be specifically need to be examined to come a conclusion of likelihood. Further, the statement regarding price attractiveness and continued dumping is merely speculative rather than based on any positive evidence.

d. Due weightage should be given to the fact that there is increase in production, capacity, sales and capacity utilization of the Domestic Industry indicating lack of injury.

Examination by Authority

62. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs, however for the sake of the clarity of the submissions they are addressed as below:

a. NIP and cost of production has been determined as per the provisions of the rules and the uniform practice followed in the Directorate for the calculations.

b. The normal value for the exporters has been constructed based on the cost of production of the most efficient domestic producer as per the uniform practice followed in the Directorate.

c. The demand –supply gap in the domestic market is not significant and Domestic Industry is well within their means to fulfill the demand of the buyers. As it is the idea of anti-dumping duties is not to restrict the imports but only provide the level playing field to domestic producers vis-a-vis the exporters indulging in alleged dumping.

d. The import from Taiwan are quiet low as compared to imports from other countries. The various other factors prescribed in the laws regarding likelihood analysis have also been thoroughly analyzed.

M. CONCLUSIONS

63. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

a. The subject goods have been exported to India from the subject country, however, the same are not at dumped prices.

b. There is no material injury to the Domestic Industry on account of imports of the subject goods from subject country.

K. RECOMMENDATIONS

64. The Authority notes that the review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continued dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the present review investigation into continued dumping, injury and causal link in terms of the Antidumping Rules, the Authority is of the view that the exports from the subject country are not being dumped and imports are not causing material injury to the domestic industry, further, the analysis of likelihood of injury in view of cessation of duties further demonstrates that there is no reason for continuation of anti-dumping duties against the subject goods from the subject country. Having concluded as above, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, is not required.

Dr. INDERJIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.02 20:03:44 +05'30'